

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 161 / 2020

तारीख दायरा 06.08.2020

उनवान

1. भूलीबाई उर्फ मधुबाई आयु 34 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि पप्पू लाल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सेफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नट्टीबाई उर्फ सुनीता आयु 31 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि मुकेश जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी कुम्हारों का मोहल्ला गणेश मन्दिर के पीछे छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. कंचन बाई आयु 55 वर्ष पत्नि भारमल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
3. कमलेश आयु 36 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि सोनू जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी खेडलीफाटक कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
4. ममता आयु 28 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि तोलाराम जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
5. सोनिया आयु 26 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि लोकेश जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान ।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

6. रामजानकी आयु 38 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि हेमराज जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सेफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

दिनांक :- 24.12.2020

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील प्रतिवादी)


—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादिनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लटूरी पटवार हलका लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है:-

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
12	12	511/1090	0.05 है.
		517	0.25 है.
		518	0.10 है.
		534	0.28 है.

कुल कित्ता 4 की 0.68 हैक्टर आराजी स्थित है ।

यह कि उक्त वर्णित आराजी में वादिनी नं.1 का नाम अधिकार अभिलेख में भूली पुत्री भारमल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है तथा वादिनी नं.2 का नाम


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

अधिकार अभिलेख में नट्टी पुत्री भारमल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है ।

यह कि वादिनी नं.1 का नाम आधार कार्ड ,राशन कार्ड ,मतदाता पहचान कार्ड,भामाशाह कार्ड में मधुबाई पुत्री भारमल पत्नि पप्पू लाल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सोफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा दर्ज है तथा वादिनी नं. 2 नाम आधार कार्ड ,राशन कार्ड ,मतदाता पहचान कार्ड,भामाशाह कार्ड में सुनीता पुत्री भारमल पत्नि मुकेश जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी कुम्हारों का मौहल्ला गणेश मन्दिर के पीछे छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान दर्ज है।

यह कि वादिनी नं.1 के ही दो नाम भूलीबाई उर्फ मधुबाई है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है वादिनी नं.1 के अलावा और कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

यह कि वादिनी नं.2 के ही दो नाम नट्टीबाई उर्फ सुनीता है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है वादिनी नं.2 के अलावा और कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

यह कि वादिनीगण केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्ट्रर करवाने के लिए ई-मित्र कियोस्क पर गई तो ई-मित्र संचालक ने खाते में व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में एक ही नाम होने पर ही केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने कही वादिनीगण दोनों को केन्द्र सरकार की योजना का लाभ वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में व अन्य दस्तावेजात में नाम सही होने तक इन्कार करने को कहा ।

यह कि वादी अपने सभी दस्तावेजात लेकर प्रतिवादी नं.1 के पास प्रार्थना पत्र पेश किया गया तो नाम सही करने में असमर्थता जताते हुए वादिनीगण से कहा अदालत से आदेश के बाद ही नाम सही होगा ,वादिनी नं.1 का राजस्व रेकार्ड में भूलीबाई के स्थान पर सही नाम मधुबाई पुत्री भारमल पत्नि पप्पू लाल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सोफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा तथा वादीनी नं.2 का राजस्व रेकार्ड मे नट्टीबाई के स्थान पर सुनीता पुत्री भारमल पत्नि मुकेश जाति धोबी निवासी लटूरी

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी कुम्हारो का मोहल्ला गणेश मन्दिर के पीछे छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा करवाना ही इस वाद की विषय वस्तु का पेश किया।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 2 ता 6 की ओर से श्री वकील जितेन्द्र कुमार सुमन ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया जिसमें वादी का वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया। प्रतिवादी सं.1 ने जवाब सरकार प्रस्तुत किया जिसमें वादिनी सं.1 का नाम मधुबाई एवं वादिनी सं.2 का नाम सुनीता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित बताया एवं किसी भी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना उल्लेखित किया।

जवाब सरकार से प्रतीत होता है कि सरकार पैरोकार वाद वादी का स्वीकार करने पर सहमत है। जवाब सरकार ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है, इस कारण तनकियात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।


पत्रावली के अवलोकन से मैंने यह पाया कि पत्रावली में जो जवाब सरकार, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवक्तियों पर रूक्षतम अवलोकन करने के उपरान्त मैं दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि -


माल ग्राम लटूरी पटवार हलका लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 12 पुरानी 12 की कुल किता 4 की 0.68 हैक्टर आराजी राजस्व रेकार्ड मे वादिनी नं.1 का राजस्व रेकार्ड में भूलीबाई के स्थान पर सही नाम मधुबाई पुत्री भारमल पत्नि पप्पू लाल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सेफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा तथा वादिनी नं.2 का राजस्व रेकार्ड में नट्टीबाई के स्थान पर सुनीता पुत्री भारमल पत्नि मुकेश जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी कुम्हारो का मोहल्ला गणेश मन्दिर के पीछे छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।


(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।


(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
सांगोद जिला कोटा

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला
कोटा

प्रकरण संख्या : 161 / 2020


तारीख दायरा 06.08.2020

उनवान

1. भूलीबाई उर्फ मधुबाई आयु 34 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि पप्पू लाल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सेफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नट्टीबाई उर्फ सुनीता आयु 31 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि मुकेश जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी कुम्हारो का मोहल्ला गणेश मन्दिर के पीछे छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. कंचन बाई आयु 55 वर्ष पत्नि भारमल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
3. कमलेश आयु 36 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि सोनू जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी खेडलीफाटक कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
4. ममता आयु 28 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि तोलाराम जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।


उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

5. सोनिया आयु 26 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि लोकेश जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान ।
6. रामजानकी आयु 38 वर्ष पुत्री भारमल पत्नि हेमराज जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सेफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-


श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

दिनांक :- 24.12.2020

श्री जितेन्द्र कुमार (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम लटूरी पटवार हलका लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 12 पुरानी 12 की कुल किता 4 की 0.68 हैक्टर आराजी राजस्व रेकार्ड मे वादिनी नं.1 का राजस्व रेकार्ड में भूलीबाई के स्थान पर सही नाम मधुबाई पुत्री भारमल पत्नि पप्पू लाल जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी सेफिया स्कूल के पास अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा तथा वादिनी नं.2 का राजस्व रेकार्ड में नट्टीबाई के स्थान पर सुनीता पुत्री भारमल पत्नि मुकेश जाति धोबी निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल निवासी कुम्हारो का मोहल्ला गणेश मन्दिर के पीछे छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें।


उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

ah ✓
(अंजना सह्यावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
सांगोद जिला कोटा